कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्र संख्या .... / पटना, दिनांक ....
वि॰को॰ / नि॰ / एम॰ए॰सी॰पी॰–26 / 2011

प्रेषक,

राजेश कुमार,
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना
प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना
राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, पटना
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, (बुनकर सहित)
सभी अंचलाधिकारी,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी

विषय :– **वित्त विभाग के पत्रांक 630 दिनांक 21.01.2010 के आलोक में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग का 01.01.06 एवं 01.01.09 से वेतन निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा निरूपित बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010" में निहित प्रावधानों के तहत् उक्त संकल्प के परिशिष्ट–1 की कंडिका–5(क) एवं (ख) के अनुसार सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2003 एवं संशोधित नियमावली–2006 के अधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को पूर्व में उन्हें प्रदत्त की गई प्रथम एवं द्वितीय उन्नयन (ए॰सी॰पी॰) के लाभ को नजर अंदाज करते हुए, सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी / प्रोन्नति समिति की दिनांक 26.04.2011 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 01.01.09 से अथवा इसके पश्चात् 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने की तिथि से उच्चत्तर ग्रेड वेतन में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उनन्यन का लाभ की स्वीकृति इस कार्यालय आदेश संख्या 2179 दिनांक 29.04.2011 द्वारा दी गई थी।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के आलोक में विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रत्येक उत्क्रमण फलस्वरूप वेतन निर्धारण में एक वेतनवृद्धि / 3 प्रतिशत लाभ जोड़कर वेतन निर्धारित की गई। उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत स्वीकृत रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) एवं वेतन निर्धारण के बिन्दु पर महालेखकार, बिहार, पटना द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा दर्ज आपत्ति के आलोक में सम्बन्धित मामले को वित्त विभाग में परामर्श हेतु भेजा गया। वित्त विभाग से प्राप्त मन्तव्य के आलोक में दिनांक 01.01.06 के पूर्व रू॰ 5000–8000, रू॰ 5500–9000 एवं 6500–10500 रू॰ के वेतनमान् में वेतन प्राप्त कर रहे सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.06 से निम्नवत् किया जाय :–

(i) 01.01.06 के पूर्व वेतनमान् रू॰ 5000–8000, रू॰ 5500–9000 (प्रथम ए॰सी॰पी॰ प्राप्त) एवं 6500–10500 (द्वितीय ए॰सी॰पी॰ प्राप्त) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को 01.01.06 से प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतनमान् यथा PB-2 (9300–34800), ग्रेड पे– 4200 रू॰ में वेतन निर्धारित किया जाय।

(ii) 01.01.06 के पूर्व वेतनमान् रू० 5500–9000 (प्रथम ए०सी०पी० प्राप्त) में वेतन प्राप्त कर रहे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को 01.01.09 से ग्रेड पे– 4600 रू० अनुमान्य होगा, जिसके तहत् इन्हें वेतन निर्धारण का लाभ यथा एक वेतनवृद्धि/3 प्रतिशत का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। ऐसे मामलों मे दिनांक 01.01.09 को उनके वेतन में ग्रेड पे की अन्तर राशि यथा (रू० 4600–4200=400) 400=00 (चार सौ) रूपया मात्र जोड़ दिया जाए।

(iii) 01.01.06 के पूर्व वेतनमान् रू० 6500–10500 (द्वितीय ए०सी०पी० प्राप्त) में वेतन प्राप्त कर रहे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को 01.01.09 से ग्रेड पे 4800 रू० में अनुमान्य होगा जिसके तहत् इन्हें वेतन निर्धारण का लाभ यथा एक वेतनवृद्धि/3 प्रतिशत का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में दिनांक 01.01.09 को उनके वेतन में ग्रेड पे की अन्तर राशि (रू० 4800–4200=600) 600=00 (छः सौ) रूपया वेतन में मात्र जोड़ दिया जाए।

वित्त विभाग से प्राप्त मन्तव्य के आलोक में दिनांक 24.08.2012 को सम्पन्न विभागींय स्क्रीनिंग/प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इस कार्यालय के आदेश संख्या 5361 दिनांक 09.10.2012 के द्वारा संशोधित आदेश निर्गत है। कृपया सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराने का कष्ट करें एवं तदनुसार पूर्व में किए गए वेतन निर्धारण (सेवा निवृत मामलों सहित) का शीघ्र संशोधित करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह०/–
(राजेश कुमार)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5380 /पटना, दिनांक 10.10.12.
वि.को./नि./एम.ए.सी.पी.–26/2011

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर निबंधक (मु०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संबंधित कार्मिकों को एवं विशेष कोषांग को अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raje K.
10/10/12
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।